(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 11 / 2019

बउनवान

रामचन्द्र आयु 64 वर्ष पुत्र बिहारीलाल धाकड निवासी कासमपुरा तहसील अटरू जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, कवाई जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 11.09.2019

अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई के प्रकरण संख्या 148 / 2019 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 25.3.2019 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम कासमपुरा की सरकारी भूमि किस्म बारानी पर सम्वत् 2075 में खसरा नम्बर 78 / 649 कुल रकबा 1.40 हेक्टयर तथा खसरा नम्बर 38 की कुल रकबा 0.60 हेक्टयर मे से खसरा नम्बर 78 / 649 की रकबा 1.40 हेक्टयर तथा खसरा नम्बर 38 की रकबा 0.20 हेक्टयर भूमि कुल किता 2 की रकबा 1.60 हेक्टयर भूमि पर फसल सरसो की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं तावान राशि 620 / – रूपये से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 25.07.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर, प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर उक्त निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना व बिना किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य लिये बिना उक्त निर्णय पारित कर किया गया है।

अपीलांट को सजायाब किये जाने मे भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे आर्डरशीट पर अपीलांट के दिनांक 18.3.2019 को उपस्थिति के हस्ताक्षर है लेकिन दिनांक 25.3.2019 को निर्णय दियाप है। परन्तु दिनांक 25.3.2019 के निर्णय नही कर दिनांक 28.3.2019 को दिया गया है। जबकि अलग से लिखे निर्णय मे पटवारी के बयान साईक्लोस्टाईल मे है निर्णय पर हस्ताक्षर अधिकारी नही है। प्रारम्भ मे दिनांक 18.3.2019 हेतु जारी सम्मन पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। दिनांक 18.3.2019 की आदेशिका के ऊपर निर्णय का हवाला दिया है जो कतई गलत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.3.2019 की सर्व प्रथम अपीलांट को जानकारी दिनांक 15.7.2019 को हल्का पटवारी द्वारा दिये जाने पर हुयी। जिसके बाद नकल हेतु आवेदन दिनांक 16.7.2019 को किया। जिसकी नकल दिनांक 16.7.2019 को मिलने पर यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत कर, अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.3.2019 को निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म बारानी पर फसल सरसो की बुवाई की जाकर पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.3.2019 को उपस्थित होने हेतु पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस जारी किया गया है उस दिन अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर विवादित आराजी पर कब्जा होना स्वीकार किया है, उसी अपीलांट को आगामी नियत पेशी दिनांक 25.3.2019 अवगत करवा दी गई थी। किन्तु अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक को बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको न्यायालय के द्वारा तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर, पुनः अतिक्रमण नही किये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2075 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.3.2019 को उपस्थित होने हेतु पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस जारी किया गया है, उस दिन अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर विवादित आराजी पर कब्जा होना स्वीकार किया है, उसी दिन अपीलांट को आगामी नियत पेशी दिनांक 25.3.2019 अवगत करवा दी गई थी। किन्तु अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक को बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पटवारी हल्का के बयान ओर बदेखलीनामा इत्यादि संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई द्वारा प्रकरण संख्या 148/2019 में पारित आदेश दिनांक 25.3.2019 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि नायब तहसीलदार कवाई द्वारा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके पर 2 बार विवादित आराजी पर अतिक्रमण होने की जॉच कराई जावे, यदि अपीलांट का विवादित आराजी वाके ग्राम काससमपुरा तहसील अटरू के खसरा नम्बर 78/649 की रकबा 1.40 हेक्टयर तथा खसरा नम्बर 38 की रकबा 0.20 हेक्टयर भूमि कुल किता 2 की रकबा 1.60 हेक्टयर भूमि किस्म बारानी पर कब्जा नही पाया जावे, तो नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा प्रकरण संख्या 148/2019 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 25.3.2019 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.3.2019 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.23 13:49:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: